

**पेटेंट प्राप्त करने पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति**  
**आवेदन-पत्र**

01. इकाई का नाम :-
02. संगठन का प्रकार :-
03. सम्पर्क का पता :-  
दूरभाष  
ई-मेल
04. इकाई का स्थल :-  
स्थान / नगर  
विकासखण्ड  
तहसील  
जिला
05. उद्यमी का प्रकार :- महिला / अनुजाति / जनजाति / निःशक्तजन  
/ पिछड़ा वर्ग / अल्प संख्यक / अन्य
06. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में :-  
एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के  
तहत मेमोरेण्डम पार्ट 2 जमा  
करने पर दी गई अभिस्वीकृति  
का क्रमांक व दिनांक या भारत  
सरकार द्वारा जारी आशय  
पत्र / अनुज्ञा पत्र / आईईएम  
क्रमांक व दिनांक
07. वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक :-
08. इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों के :-  
नाम
09. शोध एवं अनुसंधान के आधार :-  
पर विकसित किये गये  
उत्पाद / प्रक्रिया का संक्षिप्त  
विवरण जिसका पेटेंट कराया  
गया है
10. पेटेंट पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक :-  
एवं दिनांक

11. पेटेंट प्राप्त करने पर हुआ व्यय :-

(अ) पेटेंट कराने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र के साथ जमा की गई निर्धारित शुल्क की राशि

(ब) पेटेंट कराये गये उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित संयंत्र एवं साज-सज्जा पर व्यय राशि

(स) पेटेंट प्रक्रिया अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ की ली गई सलाह/सेवा के लिये भुगतान किये गये व्यय की राशि

### योग

12. यदि पूर्व में इकाई द्वारा दिनांक :-  
1/11/2010 के पश्चात अन्य पेटेंट प्राप्त करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, योजनान्तर्गत ली गई हो तो, राशि के आकार एवं दिनांक सहित विवरण दें।

संलग्न :-

दिनांक :

स्थान :

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

पेटेंट प्राप्त करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाला घोषणा पत्र

(रू.10/- स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करते हैं कि :-

- 1- मेरे /हमारे द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ..... में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक..... में दी गई जानकारी सत्य है।
- 2- उक्त आवेदन में उल्लेखित इकाई जिसके लिए पेटेंट प्राप्त करने में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति चाही गई है, राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता/अशोधी नहीं है।
- 3- मैं/हम "विनिर्माण उद्यमों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेटेंट प्राप्त करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति योजना, 2010" में उल्लेखित समस्त शर्तों/प्रक्रिया/प्रतिबंधों को स्वीकार करता हूं, तदनुरूप आचरण / पालन का वचन देता हूँ/देते है।
- 4- शोध/अनुसंधान गतिविधि, जिस हेतु पेटेंट प्राप्त किया गया है, का उपयोग आवेदन में उल्लेखित इकाई द्वारा किया जा रहा है।
- 5- मेरे/हमारे द्वारा भारत शासन की समान स्वरूप की योजना अंतर्गत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सुविधा प्राप्त की गई है।
- 6- मैं/हम यह वचन देता/देते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना /नियम में उल्लेखित किसी भी शर्त/प्रावधान का मेरे द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने/वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान:-

दिनांक:-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम—

(सील)